कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर

क्रमांकः– स्था / विज्ञप्ति / 2020 / 01 दिनांक :– 07-02-2020

विज्ञप्ति

जालोर न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 04 पदों पर न्याय विभाग, राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं PSUs से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, की सेवाएं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1966 के नियम–164ए में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांकः एफ12 वित्त / नियम / 2009, दिनांक 01.12.2015 व राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र संख्याः एफ17(10)डीओपी / ए–ा / 94, दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी / आई / ए–4(i) (a)55 / 16 / 1284 दिनांक 30.01.2020 के अनुक्रम में दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए, प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत कार्मिकों के आवेदन पत्र सलग्न प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है।

शर्तेः–

(1) उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के सलंग्नं परिशिष्ट –क के अनुसार होगी।

(2) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1 / 30 वां भाग काटा जायेगा।

(3) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

(4) कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति के लिए विचार नही किया जायेगा।

आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 25.02.2020 है तथा इसके पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज सलंग्न किये जाने आवश्यक हैः–

1. विभाग के द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र(प्रारूप संलग्न है।)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जालोर

क्रमांकः– स्था / 2020 / 502 दिनांक :– 07-02-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है5–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजस्थान राज्य
4. जिला कलक्टर, जालोर
5. जालोर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु .....
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
7. सिस्टम ऑफिसर न्यायालय हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जालोर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्त सेवाएं लेने के लिये आवेदन–पत्र

1.	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	.....
2.	पिता / पति का नाम	.....
3.	जन्म तिथि	.....
4.	पता	.....
		.....
		.....
5.	आयु	.....वर्ष.....माह.....दिन
6.	अर्हताएं	.....
7.	मूल विभाग का नाम	.....
9.	सेवानिवृत्त से पूर्व धारित पद	.....
9.	अनुभव	.....
		.....
		.....
		.....
10.	सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड, वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है)	.....
11.	मूल पेंशन की राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है)	.....
12.	धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)	.....
13.	विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)	.....

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबद्व

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :
दिनांक

सेवानिवृत्ति अधिकारी / कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री / श्रीमती.....पुत्र / पत्नी.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है। कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री / श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार सतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबद्व के विचार के लिए उसकी अभयर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री / श्रीमती ....रू. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड, वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था। / कर रही थी और कि श्री / श्रीमती.....अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया / गयी है और श्री / श्रीमती ..... के विरूद्व कोई विभागीय जाँच / आपराधिक मामला लंबित नही है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील